Artist-cum-photographer.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जून 26—जुलाई 2, 2016, शनिवार/आषाढ़ 5—आषाढ़ 11, 1938

No. 24] NEW DELHI, JUNE 26—JULY 2, 2016, SATURDAY/ASADHA 5— ASADHA 11, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जून, 2016

सा.का.नि.113.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा विदेश मंत्रालय (सुरक्षा सहायक पहले सुरक्षा गार्ड के रूप मे नामनिर्दिष्ट) भर्ती नियम, 1972 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. (i) ये नियम विदेश मंत्रालय (सुरक्षा सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 कहे जाएं।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. विदेश मंत्रालय (सुरक्षा सहायक) भर्ती नियम, 1972 की अनुसूची में, स्तंभ 11(i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित होगा:-

   (i) उपलब्ध पदों के 50% को सशस्त्र पुलिस/राज्य पुलिस बल के पात्र कांस्टेबल/हेड कांस्टेबलों से भरा जाएगा। उपर्युक्त 50% में से, प्रत्येक वर्ष तीन स्लॉटों को विदेश मंत्रालय में कार्यरत संवर्ग-बाह्य श्रेणी 'ग' के कर्मचारियों अर्थात् आईसीडब्लू के पूर्व कर्मचारियों तथा विदेश मंत्रालय के छात्रावास कर्मचारियों तथा विदेश मंत्रालय के कैंटीन कर्मचारियों में से पात्र व्यक्तियों की भर्ती करके भरा जाएगा। विदेश मंत्रालय के श्रेणी ग के कर्मचारियों के मामले में लागू पात्रता शर्तें

3093 GI/2016

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 2016

सा.नि.का.116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मत्स्यपालन कर्मी संस्थान, (श्रेणी) III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम,1968 , को, जहाँ तक उनका संबंध कलाकार-सह-फोटोग्राफर के पद से है अधिक्रांत करते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान,कोच्चि में कलाकार-सह-फोटोग्राफर की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग केन्द्रीय मत्स्यपालन, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि, कलाकार-सह-फोटोग्राफर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान**.— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कलाकार -सह -फोटोग्राफर	* 01 (2016) *कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित,	वेतन बैंड-1, 5200-20200रू. + ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में	**आवश्यक:** i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	800 रु.		शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	ii) किसी मान्यताप्राप्त कला विद्यालय से डिप्लोमा; iii) फोटोग्राफी में प्रवीणता तथा अधिमानतः वैज्ञानिक फोटोकॉपी और प्रयोगशाला उपकरणों के लेवारत उच्च श्रेणी फोटोग्राफी में अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होगा	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है।	लागू नहीं होता

पुष्टि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित है :- निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य नौचालनी एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि ---अध्यक्ष अवर सचिव मत्स्य, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ---सदस्य ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्यपालन, नौचालन इंजीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि ---सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 3-45/2014-प्रशा-V]

पोरेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 23rd June, 2016

G.S.R.116.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries Operatives (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Artist-cum-Photographer, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist-cum-Photographer in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely:-

1. **Short title and commencement**:- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Artist-cum-Photographer, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**:-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**:-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Artist-cum-Photographer	*01 (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2800/-	Not applicable	Between 18 and 27 years. (relaxable upto forty years in case Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note:1-The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Divison of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note:2- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names	Essential: (i) Matriculation pass from a recognised Board; (ii)Diploma of a recognised School of Arts; (iii) proficiency in photography and experience in high class studio serving preferably in scientific photography and handling laboratory instruments.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of the promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exits what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under circumstances for a duration	Not applicable	Group C Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (i) Director, Central	Not applicable.

		of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Govt. (a)(i) holding analogous posts on regular basis or (b) Possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		Institute of Fisheries Nautical Engineering & Training - Chairman; (2) Under Secretary (Fy), Department. of Animal Husbandry Dairying & Fisheries, Krishi Bhawan, New Delhi - Member; (3) Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries Nautical Engineering & Training - Member;	

[F. No. 3-45/2014-Admn.-V]

YOGINDER KUMAR, Under Secy.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 2016

सा.का.नि.117.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के निदेशक (स्टाफ संबंध) के भर्ती नियम, 2002, को रद्द करते हैं जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 105 द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2002 को प्रकाशित हुए थे ।

[फा. सं. ए-35014/01/2015-प्रशासन-II]

निठाली राम, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 29th June, 2016

G.S.R. 117.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications' Director (Staff Relations) Recruitment Rules, 2002 which were published in Gazette of India vide notification number G.S.R. 105 dated 13th March, 2002.

[F. No. A-35014/01/2015-Admn.-II]

NITHALI RAM, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.